प्रतिभूति कागज कारखाना, नर्मदापुरम-461005 (म.प्र.)
(भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की इकाई)
भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन
मिनीरत्न श्रेणी - 1 सीपीएसई एवं आई.एस.ओ. 9001 : 2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 एवं आईईसी 17025:2017 प्रमाणित
SECURITY PAPER MILL, NARMADAPURAM - 461005 (M.P.)
(A Unit of Security Printing & Minting Corporation of India limited)
Wholly Owned by Government of India
Miniratna Category - I CPSE & ISO 9001 : 2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 & IEC 17025:2017 Certified
CIN : U22213DL2006GOI144763, GSTIN : 23AAJCS6111J3ZE
Tel. No. 07574-255259, Fax No. : 07574-255170, E-mail : gm.spm@spmcil.com, Website : http://spmnarmadapuram.spmcil.com

सूचना क्रमांक : 07

सूचना क्रमांक 86 दिनांक 28.12.2024 द्वारा पूर्व में गठित समिति में से श्री व्योम त्रिपाठी शिवम, उप प्रबंधक (विधिक) के कार्यमुक्त होने के फलस्वरूप सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन दिनांक 08.04.2025 के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया जाता है:

क्र.	नाम	पदनाम	समिति में पद
1	सुश्री प्रतिभा गौतम	सहायक प्रबंधक (मा.सं.)	अध्यक्ष
2	श्री अमित शर्मा	उप प्रबंधक (विधिक)	सदस्य
3	सुश्री अनीता बालमीक	वरिष्ठ कार्यालय सहायक	सदस्य सचिव
4	सुश्री कामिनी पटेरिया	कनिष्ठ तकनीशियन	सदस्य
5	सुश्री गायत्री	कैंपस मैनेजर, एकलव्य फाउंडेशन, मालाखेड़ी, नर्मदापुरम	बाहरी सदस्य (एनजीओ)

अधिनियम के अनुसार पीड़ित महिला, घटना की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर और घटना के लगातार मामलों में, अंतिम घटना की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की लिखित शिकायत आईसीसी या एलसीसी (यदि शिकायत नियोक्ता के खिलाफ है) को कर सकती है ।

अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत समिति को शिकायतों और उनके द्वारा शिकायत पर की गई कार्रवाई की वार्षिक रिपोर्ट नियोक्ता और संबन्धित जिला स्तर अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी ।

अधिनियम की धारा 4(4) के अंतर्गत एवं एसपीएमसीआईएल नियमों/नीति के अनुसार समिति की बैठक में भाग लेने के लिए बाहरी सदस्य (उपरोक्त तालिका में क्रमांक 5 पर उल्लिखित) को टीए/डीए एवं मानदेय का भुगतान किया जाएगा ।

इसे मुख्य महाप्रबंधक के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

9.4.25

(डॉ. अशेष अविनाशी)
संयुक्त महाप्रबंधक (मा.सं.)

क्रमांक: प्रकाका/प्रशा./2(197)/ 36

दिनांक: 09.04.2025

प्रति:- सुश्री प्रतिभा गौतम/ श्री अमित शर्मा/ सुश्री अनीता बालमीक/ सुश्री कामिनी पटेरिया/ सुश्री गायत्री, एकलव्य फाउंडेशन

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.)/ संयुक्त महाप्रबंधक (विधिक), भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड,16वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली - 110 001 को सूचनार्थ।
2. समस्त कार्यपालक, पर्यवेक्षक, सपोर्ट स्टाफ एवं औद्योगिक कर्मचारी।
3. वरिष्ठ समादेशक, के.औ.सु.ब., प्रकाका इकाई, नर्मदापुरम।
4. समस्त सूचना पटल/ संपदा विभाग/ औषधालय/ समस्त संघ/ सतर्कता विभाग ।
5. व्यक्तिगत पंजी (04 प्रतियां)/ रक्षा पंजी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय/ अपर महाप्रबंधक (तक. प्रचा.)